



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश: 169


दिनांक:- 04/2/2021

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. श्री राज कुमार खेड़ा सुपुत्र श्री रघु राम, सहायक अनुभाग अधिकारी (वरि.सं.-1906) जो की वर्तमान में संस्थापना (राजपत्रित) में कार्यरत है, को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सैद्धान्तिक रूप से (नोशनली), उनकी कनिष्ठ श्रीमती सपना रानी सैनी धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार सैनी (वरि. सं. 1906-ए) के संदर्भ में जिनकी पदोन्नति संस्था. आदेश संख्या 1402 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर हुई थी, सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। श्री राज कुमार खेड़ा, सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) केंद्र में अपनी वरिष्ठता श्रीमती सपना रानी सैनी के ऊपर बनाये रखेंगे।

2. यदि उपरोक्त अधिकारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर श्री राज कुमार खेड़ा सुपुत्र श्री रघु राम, की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें उप मुख्य लेखाधिकारी (पेंशन) में तैनात किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।




(धर्मेश्वर शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय)

सं.एफ.10(11)2021/सी.सी./ 147
प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक:- 04/2/2021

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / प्रणाली, दि.वि.प्रा.।
5. उप निदेशक (कार्मिक)- 1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा।
6. उप मुख्य लेखाधिकारी (पेंशन), दि.वि.प्रा.।
7. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2021)
8. लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / पेंशन, दि.वि.प्रा.।
9. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1, एवं 3 / पी.एम.आई.एस./ (गोपनीय कक्षा)-2, दि.वि.प्रा.।
10. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
11. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।



(आर. के. सक्सेना)

सहायक निदेशक (गोपनीय)



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश: 168

दिनांक:- 04/2/2021

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:

क्रम सं. / वरि. सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/1921	नरेन्द्र खेड़ा सुपुत्र स्व. श्री के.एल. खेड़ा	बैठक कक्ष
2/1922	श्रीमती अंशु गौड़ धर्मपत्नी श्री सुनील कुमार गौड़	कार्मिक शाखा - 1
3/1936	राजिन्दर सिंह बलूजा सुपुत्र श्री टी.एस. बलूजा	विद्युत् खंड - 10
4/1939	प्रमोद कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री आर.पी. गुप्ता	ई.ई. / एच.सी.डी.-2 (ई.डी.-4)
5/1942	श्रीमती शशि नागपाल धर्मपत्नी श्री स्वदेश कुमार नागपाल	उप निदेशक (जन संपर्क)
6/1944	प्रवीन कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता	प्राप्ति एवं प्रेषण (प्रणाली) ई-ऑफिस
7/1962	अशोक कुमार शर्मा सुपुत्र श्री काले राम शर्मा	रोहिणी परियोजना खंड - 1

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें निम्नानुसार तैनात किया है:

क्रम सं./ वरि. सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/1921	नरेन्द्र खेड़ा सुपुत्र स्व. श्री के.एल. खेड़ा	पदोन्नति पर	बैठक कक्ष
2/1922	श्रीमती अंशु गौड़ धर्मपत्नी श्री सुनील कुमार गौड़	पदोन्नति पर	सतर्कता
3/1936	राजिन्दर सिंह बलूजा सुपुत्र श्री टी.एस. बलूजा	पदोन्नति पर	आवास
4/1939	प्रमोद कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री आर.पी. गुप्ता	पदोन्नति पर	अधीक्षण अभियंता / एच.सी.सी-1
5/1942	श्रीमती शशि नागपाल धर्मपत्नी श्री स्वदेश कुमार नागपाल	पदोन्नति पर	जन संपर्क
6/1944	प्रवीन कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता	पदोन्नति पर	आवास
7/1962	अशोक कुमार शर्मा सुपुत्र श्री काले राम शर्मा	पदोन्नति पर	भूमि प्रबंधन (रोहिणी क्षेत्र)

(धर्मेन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / आवास / प्रणाली, दि.वि.प्रा. ।
5. अधीक्षण अभियंता, एच.सी.सी-1, दि.वि.प्रा.।
6. अधिशाषी अभियंता, विद्युत् खंड-10 / एच.सी.डी.-2 (ई.डी.-4) / रोहिणी परियोजना खंड-1, दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (कार्मिक)- 1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / बैठक कक्ष / आवास (समन्वय) / जन संपर्क / प्राप्त एवं प्रेषण (प्रणाली) ई-ऑफिस / आरक्षण कक्ष / उद्यान खंड 6 / भूमि प्रबंधन (रोहिणी क्षेत्र), समन्वय, दि.वि.प्रा।
8. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2021)
9. लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / अराजपत्रित-II / संस्थापना आवास / सम्बंधित (सी.ए.यू.), दि.वि.प्रा.।
10. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.एम.आई.एस./ (गोपनीय कक्ष)-2, दि.वि.प्रा. ।
11. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
12. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

आर. के. सक्सेना
(आर. के. सक्सेना)
सहायक निदेशक (गोपनीय)